

कार्यालय : जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावाँ ।

:: प्रपत्र - 02 ::

पत्रांक 51 /

प्रेषक :

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-नोडल पदाधिकारी
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम
-सह-सचिव, जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, सरायकेला-खरसावाँ ।

सेवा में,

प्रबंधक / अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य

ESTEEM PUBLIC SCHOOL CHALIYAMA (इस्टीम पब्लिक स्कूल चलियामा)

सरायकेला, दिनांक 12.1.2021

विषय :

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए झारखण्ड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 के नियम के अधीन एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) झारखण्ड, राँची के अधिसूचना ज्ञापांक 629 दिनांक 25.04.2019 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि निजी विद्यालय के मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों के आलोक में जिला प्रारंभिक शिक्षा समिति, सरायकेला-खरसावाँ की दिनांक 10.12.2020 को आहूत बैठक में प्राप्त प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरांत समिति के द्वारा आपके विद्यालय इस्टीम पब्लिक स्कूल चलियामा, सरायकेला-खरसावाँ को शैक्षणिक सत्र 2020-21 से कक्षा-01 से 08 तक के लिए विभागीय शर्तों के अनुसार औपबंधित रूप से मान्यता प्रदान की जाती है। आपके विद्यालय को छःह माह के अन्दर सभी विभागीय शर्तों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा, अन्यथा मान्यता वापस ले ली जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। उपरोक्त मान्यता निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :-

- (1) इस मान्यता से किसी भी रूप में कक्षा-8 के पश्चात मान्यता/सम्बद्धन करने के लिए बाध्यता निहित नहीं है।
- (2) विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एवं झारखंड निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के उपबंधों तथा विभागीय अधिसूचना संख्या 1291 दिनांक 11.05.2011 एवं यथा संशोधित अधिसूचना संख्या 629 दिनांक 25.04.2019 में उल्लेखित प्रावधानों का अक्षरशः पालन किया जाय।
- (3) विद्यालय अपनी प्रथम कक्षा में उस कक्षा के बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आसपास कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक उपलब्ध कराएगा।

- (4) उक्त कंडिका-3 में उल्लेखित बालको के लिए विद्यालय की अधिनियम धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के तहत प्रतिपूर्ति राशि हेतु विद्यालय एक अलग बैंक खाता संधारित करेगा।

Principals
PRINCIPAL
ESTEEM PUBLIC SCHOOL
CHALIYAMA, SARAIKELLA-KHARASAWAN
AFFILIATED TO CBSE, DELHI
66547

CHAIRMAN
ESTEEM PUBLIC SCHOOL
CHALIYAMA, SARAIKELLA-KHARASAWAN
AFFILIATED TO CBSE, DELHI
66547

- (5) विद्यालय किसी भी प्रकार से बच्चों या उनके अभिभावकों से कोई कैंपिटेशन शुल्क नहीं लेगा और विद्यालय में नामांकन हेतु किसी बालक या उसके माता पिता या अभिभावक का किसी प्रकार का स्कीनिंग टेस्ट नहीं लेगा।
- (6) विद्यालय किसी बालक का आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और ऐसी स्थिति में अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन किया जाएगा।
- (7) विद्यालय निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
- (क) प्रवेश दिए गए किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
- (ख) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक दण्ड नहीं दिया जायेगा।
- (ग) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (घ) प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक प्रत्येक बालक को अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधान के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (ङ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा।
- (च) संबंधित विद्यालय अपने पास-पड़ोस के 01 से 05 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र के कम से कम 80 प्रतिशत बालकों का आर० टी० ई० के अंतर्गत 25 प्रतिशत नामांकन सहित अपने विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करेगा।
- (छ) विद्यालय अपने मुख्य प्रवेश एवं निकास द्वार जो मुख्य अथवा सहायता पथ पर पड़ते हैं उसे आम आवागमन के लिए बाधित नहीं किए जाने की जबाबदेही लेंगे तथा इस हेतु पूर्व से ही आवश्यक संरचनात्मक व्यवस्था करेंगे।
- (ज) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन घोषित सक्षम प्राधिकार राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा निर्धारित अहर्ताएँ के अनुरूप किया जाएगा तथा उनके पास उनके निर्धारित न्यूनतम अहर्ता अधिनियम 2009 के लागू की जाएगी।
- (झ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन उल्लेखित अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
- (ट) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
RTE के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सभी विद्यालय को इस नियमावली के लागू होने के एक वर्ष के अन्दर पुनः निरीक्षण करना अनिवार्य होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा उल्लेखित विद्यालय के मानकों और सन्नियमों को बनाए रखेगा।
9. विद्यालय जाँच हेतु अंतिम निरीक्षण के समय प्रतिवेदित न्यूनतम सूचना अक्षुण्ण रखेगा। सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा।
10. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।

विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा।

12. विद्यालय को किसी व्यक्ति के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर अंकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण किया जाना चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधीक्षक को भेजना होगा।
14. विद्यालय ऐसी प्रतिवेदन और जानकारी प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाये।
15. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत उसी सोसाईटी द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा। सोसाईटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जायेगा।
16. विद्यालय के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 झारखंड के बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 एवं विद्यालय को विभागीय अधिसूचना संख्या-629 दिनांक 25.04.2019 में अंकित प्रावधानों एवं शर्तों को लागू करना होगा।
17. विद्यालय को एवं उससे संबंधित परिसम्पत्ति का सही सही विवरण उपलब्ध कराने /अभिलेख संधारण उसके नियमानुकूल अथवा वैधानिक रूप से क्रय/हस्तांतरण/प्राप्ति की पूरी पूरी जबाबदेही संबंधित विद्यालय एवं उसके सोसाईटी की हैं एवं होगी। अतएव यदि भविष्य में इससे संबंधित कोई विवाद/वाद/माननीय न्यायालय वाद/ अपराधिक वाद उत्पन्न होता है तो विभाग/सरकार/जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय की कोई जबाबदेही नहीं होगी। इसकी पूरी-पूरी जबाबदेही संबंधित विद्यालय के प्रबंध समिति एवं उसकी सोसाईटी की होगी।

आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक – **SKL/PVT/UND/.002./2021**

है। कृपया इसे नोट कर लें एवं इस कार्यालय के साथ भविष्य में किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख किया जाय।

Principals

PRINCIPAL
ESTEEM PUBLIC SCHOOL
CHALIYAMA, SARAİKELLA-KHARASAWAN
AFFILIATED TO CBSE, DELHI
Aff. No.3430348, School Code:- 66547

Chairman

CHAIRMAN
ESTEEM PUBLIC SCHOOL
CHALIYAMA, SARAİKELLA-KHARASAWAN
AFFILIATED TO CBSE, DELHI
Aff. No.3430348, School Code:- 66547

12/1/2021

जिला शिक्षा अधीक्षक
सरायकेला-खरसावाँ।